



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

प्रयागराज, शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 ई०
(भाद्रपद 19, 1943 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन

धर्मार्थ कार्य विभाग

संख्या 803/57-2021-3(20)/2013

लखनऊ, दिनांक : 10 सितम्बर, 2021 ई०

अधिसूचना

प०आ०-317

उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत स्थित जनपद मथुरा एवं वृन्दावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली एवं क्रीडास्थली है। मथुरा एवं वृन्दावन को पवित्र स्थल मानते हुये देश एवं विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने एवं पुण्यलाभ हेतु आते हैं। उक्त तीर्थ स्थलों की पौराणिक महत्ता है एवं पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य के नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के निम्नलिखित 22 वार्डों के अधिसूचित क्षेत्र को एतद्वारा पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाता है-

1-घाटी बहालराय, 2-गोविन्द नगर, 3-मंडी रामदास, 4-चौबियापाडा, 5-द्वारिकापुरी, 6-नवनीत नगर, 7-वनखण्डी, 8-भरतपुर गेट, 9-अर्जुनपुरा, 10-हनुमान टीला, 11-जगन्नाथपुरी, 12-गउघाट, 13-मनोहरपुरा, 14-बैरागपुरा, 15-राधानगर, 16-बदरीनगर, 17-महाविद्याकालोनी, 18-कृष्णानगर प्रथम, 19-कृष्णानगर द्वितीय, 20-कोयला गली, 21-दम्पियर नगर, 22-जय सिंह पुरा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।